भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 5252**

02 अप्रैल, 2025 को उत्तर देने के लिए

**अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में नवोन्मेष योजना**

**†5252. श्री तापिर गावः**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में नवोन्मेष (इंस्पायर) योजना का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त 'इंस्पायर' योजना के उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त योजना के तहत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से चयनित छात्रों की संख्या और ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(डॉ. जितेंद्र सिंह)**

(क) से (ख): जी, हाँ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर प्राकृतिक विज्ञान क्षेत्रों का अध्ययन करने तथा इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कृषि और पशु चिकित्सा विज्ञान सहित बुनियादी और अनुप्रयुक्त विज्ञान क्षेत्रों में अनुसंधान करियर बनाने हेतु मेधावी युवाओं को आकर्षित करने, उनका पोषण करने और उन्हें बनाए रखने के लिए अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में नवाचार (इंस्पायर) योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इसका अंतिम उद्देश्य देश के अनुसंधान एवं विकास आधार का विस्तार करना है। इसे चार घटकों के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया जाता है। इंस्पायर योजना की घटक-वार मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

इंस्पायर इंटर्नशिप घटक का उद्देश्य ग्रीष्मकाल या शीतकाल के दौरान विज्ञान शिविर लगाकर 10वीं कक्षा में बोर्ड स्तर पर शीर्ष 1% छात्रों को अवसर प्रदान करना है तथा उन्हें नोबेल पुरस्कार विजेताओं सहित भारत और विदेश के विज्ञान दिग्गजों के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना है ताकि वे वैज्ञानिक खोज के अनुभव से लाभान्वित हो सकें। ये विज्ञान शिविर विद्यार्थियों की विज्ञान के प्रति जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, उन्हें नए ढंग से सोचने में मदद करते हैं तथा 16-17 वर्ष की कम आयु के विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए विज्ञान विषय चुनने के लिए आकर्षित करते हैं।

इंस्पायर के उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति (शी) घटक का उद्देश्य छात्रवृत्ति और मार्गदर्शन सहायता प्रदान करके विज्ञान गहन कार्यक्रमों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रतिभाशाली युवाओं की रुचि बढ़ाना है। यह योजना केन्द्रीय और राज्य शिक्षा बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार 17-22 वर्ष आयु वर्ग के शीर्ष 1% प्रतिभाशाली युवाओं के लिए बुनियादी और प्राकृतिक विज्ञान क्षेत्र में स्नातक और

स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा शुरू करने के लिए 0.80 लाख रुपये प्रति वर्ष  5 वर्ष की अवधि के लिए 12,000 छात्रवृत्तियां प्रदान करती है।

इंस्पायर योजना के इंस्पायर फेलोशिप घटक का उद्देश्य राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान यानी आईआईटी, एनआईटी, आईआईएसईआर स्तर की परीक्षा में इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कृषि, पशु चिकित्सा सहित बुनियादी और अनुप्रयुक्त विज्ञान में एमएससी प्रथम रैंक धारकों और इंस्पायर स्कॉलर्स जिन्होंने एमएससी स्तर पर कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त किए हैं तथा देश में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान में पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के पात्र हैं, को प्रति वर्ष फेलोशिप प्रदान करना है। फेलोशिप अधिकतम 5 वर्षों के लिए (37000/रु. प्रति माह 2 वर्ष तक जेआरएफ़ + एचआरए + 20000/रु. प्रति वर्ष का आकस्मिक अनुदान और 42000/ रु. प्रति माह 3 वर्ष तक एसआरएफ + एचआरए + 20000/रु. प्रति वर्ष का आकस्मिक अनुदान) या पीएचडी पूरी होने तक, जो भी पहले हो, पूर्णकालिक पीएचडी कार्यक्रम के लिए मान्य है। प्रति वर्ष अधिकतम 1000 इंस्पायर फेलोशिप मान्य हैं।

इंस्पायर के इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप घटक का उद्देश्य 27-32 वर्ष के आयु समूह (एससी/एसटी/महिला उम्मीदवारों और बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए ऊपरी आयु सीमा क्रमशः 37 और 42 वर्ष है) के पोस्ट-डॉक्टोरल शोधकर्ताओं को प्रत्येक वर्ष इंजीनियरिंग, कृषि, पशु चिकित्सा और चिकित्सा सहित बुनियादी और अनुप्रयुक्त विज्ञान दोनों क्षेत्रों में 5 वर्ष के लिए अवसर प्रदान करना है। पीएचडी डिग्री वाले तथा सुदृढ़ शैक्षणिक और शोध ट्रैक रिकॉर्ड वाले अभ्यर्थियों पर प्रतिस्पर्धी आधार पर विचार किया जाता है। यह 5 वर्ष की अवधि के लिए आकर्षक फेलोशिप प्रदान करता है जिसमें 1,25,000/- रुपये प्रति माह का समेकित पारिश्रमिक, 200 रुपये प्रति वर्ष की वार्षिक वेतनवृद्धि और 7 लाख रुपये प्रति वर्ष का शोध अनुदान शामिल है। इस योजना ने युवा शोधकर्ताओं को देश के भीतर उच्च गुणवत्ता वाले पोस्ट-पीएचडी शोध को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। प्रति वर्ष अधिकतम 150 इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप दी जा सकती हैं।

(ग)  उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-2025 के दौरान 27.03.2025 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से चयनित छात्रों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

| **क्र. सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **इंस्पायर - इंटर्नशिप** | **इंस्पायर-शी** | **इंस्पायर-फेलोशिप** | **इंस्पायर-संकाय फैलोशिप** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 530 | 5 | 11 | 0 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | असम | 0 | 84 | 24 | 4 |
| 4 | बिहार | 0 | 172 | 6 | 1 |
| 5 | चंडीगढ़ | 0 | 3 | 10 | 0 |
| 6 | छत्तीसगढ | 150 | 421 | 13 | 0 |

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | इंस्पायर - इंटर्नशिप | इंस्पायर-शी | इंस्पायर-फेलोशिप | इंस्पायर-संकाय फैलोशिप |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | दिल्ली | 200 | 61 | 53 | 8 |
| 8 | गोवा | 0 | 6 | 10 | 0 |
| 9 | गुजरात | 350 | 93 | 21 | 0 |
| 10 | हरियाणा | 0 | 66 | 7 | 1 |
| 11 | हिमाचल प्रदेश | 450 | 138 | 7 | 1 |
| 12 | जम्मू और कश्मीर | 150 | 2 | 21 | 3 |
| 13 | झारखंड | 0 | 23 | 5 | 3 |
| 14 | कर्नाटक | 150 | 60 | 46 | 16 |
| 15 | केरल | 150 | 376 | 31 | 3 |
| 16 | मध्य प्रदेश | 0 | 573 | 28 | 2 |
| 17 | महाराष्ट्र | 200 | 198 | 34 | 8 |
| 18 | मणिपुर | 0 | 138 | 2 | 1 |
| 19 | मेघालय | 0 | 49 | 1 | 0 |
| 20 | मिजोरम | 0 | 13 | 4 | 0 |
| 21 | नागालैंड | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 22 | ओडिशा | 0 | 108 | 23 | 2 |
| 23 | पुदुचेरी | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 24 | पंजाब | 550 | 61 | 30 | 2 |
| 25 | राजस्थान | 0 | 2879 | 9 | 0 |
| 26 | सिक्किम | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | तमिलनाडु | 975 | 44 | 59 | 6 |
| 28 | तेलंगाना | 450 | 31 | 36 | 4 |
| 29 | त्रिपुरा | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 30 | उत्तर प्रदेश | 1200 | 5374 | 40 | 4 |
| 31 | उत्तराखंड | 400 | 387 | 22 | 0 |
| 32 | पश्चिम बंगाल | 350 | 362 | 52 | 9 |

*****